न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जसवंतपुरा (जिला–जालोर)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमति पुष्पा कंवर सिसोदिया आर.ए.एस.

राजस्व प्रकरण संख्या –4/2019

वादीगण / प्रार्थीगण	बनाम	प्रतिवादीगण / अप्रार्थीगण
वेलसिंह पुत्र केसाजी जाति राजपुरोहित नि0 मो़दरान जरिए पावर ऑफ एर्टोनी होल्डर प्रकाश राजपुरोहित पुत्र गणेशसिंह नि0 सांथू तहसील जसवंतपुरा जिला–जालोर		1. भोपसिंह पुत्र पुनमाजी जागरवाल सा0 मोदरा 2. नैनसिंह पुत्र गणेशाजी जागरवाल सा0 मोदरा 3. शंकर पुत्र भलाजी जागरवाल सा. मोदरा 4. हडमतसिह पुत्र समेलाजी जागरवाल सा0 मोदरा 5. उकजी पुत्र समेलाजी जागरवाल सा0 मोदरा 6. भोनसिह पुत्र वरदाजी जागरवाल सा0 मोदरा 7. मोहनसिंह पुत्र वागजी जागरवाल सा0 मोदरा 8. श्रीमान तहसीलदार साहब जसवंतपुरा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत पत्थरगढी का आदेश करने

निर्णय दिनांक :24.2.2020

वादी द्वारा उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थन पत्र बाबत पत्थरगढी करने का पेश किया गया , जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा मोदरान के वर्तमान खसरा नं. 272, 273 कुल रकबा 1.19 है0 की कृषि भूमि प्रार्थी के साथ अन्य सहखातेदारान के शामलाती थी। लेकिन सभी सहखातेदारान ने आपस में बंटवारा कर दिया। बंटवारा ओदश का म्यूटेशन नं. 1341 के जरिए मुझ प्रार्थी वेलसिह के हक में खसरा नं. 2280/273 रकबा 0.15 है0 मेरे स्वयं के हिस्से में अलग आया है। जिसका नापतौल कराने का मैने नियमानुसार ओदश तहसीलदार, जसवंतपुरा से दिनांक 28.5.2019 को प्राप्त किया था उसकी पालना में टीम गठित कर अर्जुनसिंह, केवाराम व लीलाराम(नायब तहसीलदार, पटवारी धानसा ए व पटवारी मोदरान ने तीनों ने मिलकर नापतौल कर मौका फर्द सीमांकन दिनांक 31.5.2019 का कर दी है लेकिन उन्होंने पत्थरगडी करने से मना कर दिया उनका कहना था कि नियमानुसार उपखण्ड अधिकारीजी से पत्थरगढी का ओदश होगा, उसके बाद पत्थरगढी की जा सकेगी। पडौसी सहखातेदारान से अकारण विवाद उत्पन्न न होवे, इसलिए पत्थरगढी नितान्त आवश्यक है। मौजा मोदरा के खसरा नं. 268, 269 कुल रकबा 0.38 है0 की भी उपरोक्तानुसार ओदश व पैमाइस गठित टीम द्वारा हो चुकी है, उसकी भी पत्थरगढी करवाना चाहता हूँ,जिससे पडौसी अप्रार्थी सं. 1 से 7 तक दखलअदाजी कर रहे है, इसलिए उन्हें पक्षकार बनाया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मोदरान के खसरा नं. 2280/273 रकबा 0.15 है0 तथा खसरा नं. 268 व 269 रकबा 0.38 है0 की

उपखण्ड अधिकारी, जसवन्तपुरा
जिला-जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner

सीमांकन रिपोर्ट के अनुसार पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार जसवंतपुरा पर दिलाने की कृपा करावे।

अप्रार्थीगण नं. 1,2 व 6 की तरफ से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा मोदरा के वर्तमान खसरा नं. 268 , 269 का विभाजन हो चुका है और विभाजन होने के बाद चालू नक्शों में भी तरमीम भी हो चुकी है और तरमीम के आधार पर नक्शे में बटटा नंबर का इंद्राज हो चुका है, जो बटटा नंबर प्रभाव में आ गये है। इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने तरमीम के आधार पर अनुतोष नही मांगा है, इस आधार पर प्रार्थी का मूल प्राथर्ना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। जहां तक टीम गठित कर मौके पर प्रार्थी की खातेदारी का सीमांकन 31.5.2019 को करवाने नाप करवाने का सवाल है, उसका जवाब कि हम उसके पडौसी होने के कारण नापतौल करने से पहले हमकों नोटिस देकर मौके पर नापतौल के समय हाजिर रहने की सुचना देनी चाहिए थी जो नोटिस व सूचना हमकों नहीं दी गई, इसलिए सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 31.5.2019 से हम बिल्कुल पाबंद नहीं है। उक्त रिपोर्ट एकतरफा होने के कारण हमारे विरूद्ध पढे जाने योग्य नहीं है और एकतरफा रिपोर्ट को आधार मानकर पत्थरगढी का आदेश देना न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। खसरा सं0 269 रकबा 1.37 है0 पूरा रकबा आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिर्वन किश्तों में(टुकडे में) हो चुका है। चूंकि खातेदार की बजाय पटटेदार दर्ज होने व आवासीय होने से राजस्व न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से खारिज योग्य है। प्रार्थी स्वयं ने आवासीय प्रयाजनार्थ करवाया है लेकिन प्रार्थना में पत्र में वह अपने आप को खातेदार बता रहा है, जो गलत तथ्य लेकर न्यायालय में आया है। उसके संपरिवर्तन आदेश में सडक के मध्य से 50 फीट छोडकर निर्माण करने का उल्लेख है। इस शर्त की पालना प्रार्थी स्वयं नहीं कर रहा है, इस शर्त के विपरित 50 फीट के अंदर निर्माण कार्य कर चुका है। आवासीय संपरिवर्तन पटटेदार करीब 41 व्यक्ति है, जिनका मूल खसरा नं. 269 में हक व कब्जा है, वे सभी आवश्यक पक्षकार है, उनको पक्षकार नहीं बनाया है। वर्तमान चालू नक्शा खसरा नं. 268 , 269 नक्शें में लाल स्याही से तरमीम की गई है। उसके आधार पर नवीनतम जमाबंदी तरमीमशुदा प्रार्थी ने पेश नहीं की है। चूंकि प्रार्थी ने उपरोक्त खसरों की माठ बाबत पत्थरगढी करने का आदेश मांगा है लेकिन मौके पर जमीन व रकबा में भिन्नता है। इसलिए जब तक प्रार्थी सैटलमेंट विभाग से पैमाइस नहीं करवाता तब तक किसी प्रकार की पत्थरगढी करने का आदेश न्यायोचित नहीं होने से मुल प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अप्रार्थी सं. 8 ने जवाब पेश कर उल्लेख किया कि प्रार्थना पत्र अनुसार पैमाइस हेतू आदेश जारी कर कमेटी से पैमाइस दिनांक 31.5.2019 को की जा चुकी है, जिसके आदेश क्रमांक/भूअ/2019/820 दिनांक 28.5.2019 व मौका फर्द पेश की । मौका फर्द दिनांक 3.7.2018 अनुसार खसरा नं. 268 व 273 की उत्तरी माठ मौजा सेरणा की सीमा से लगती हुई है तथा वर्तमान में मौके पर बने माठ विवादग्रस्त है जिससे खसरा नं. 268 व 273 का सीमांकन किया जाना संभव नहीं है। उक्त खसरों का ग्राम सेरणा सीमा पर होने से सीमा विवाद है जिससे ग्राम सेरणा के हल्का पटवारी द्वारा एवं मोदरा पटवारी द्वारा सीमा कायम किये जाने के पश्चात ही उक्त खसरों की पैमाईस किया जाना संभव है। मौका फर्द दिनांक 27.5.2019 अनुसार खसरा नं. 268,269,272,273,2278/272, 2279/273 व 2280/273 के पास स्थित खसरा नं. 275 रकबा 0.01 है0 किस्म गै0मू0 को स्थायी चिन्ह से जरीब चलाई जाकर सीमाज्ञान किया गया, राजस्व नक्शे के अनुसार मौके पर स्थित वर्तमान माठ का मिलान नहीं होना पाया गया। संलग्न मौका फर्द दिनांक 31.5.2019 अनुसार खसरा नं. 268,269,272,273,2278/272, 2279/273 व 2280/273 मौजा मोदरा एवं सेरणा की सीमा पर ग्राम मोदरा में स्थित है। आवेदक द्वारा उपलब्ध करवाई गई दोनों ग्रामों की शीटों से जरीब चलाकर पैमाइस की गई, उक्त खसरान की सीमा से अवगत करवाया व निशानात करवाये गये।

अप्रार्थी सं. 3, 4, 5 व 7 बावजूद नोटिस तामिल गैर रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

तहसीलदार जसवंतपुरो से प्राप्त मौका फर्द दिनांक 31.5.2019 में किसे खसरे की कहॉ से कहॉ तक पैमाईस की गई तथा किस खसरें के कहॉ पर सीमा चिन्ह अंकित किये गए, इस संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट हेतू तहसीलदार जसवंतपुरा को पुनः लिखा जाकर दिनांक 22.1.2020 को मौका फर्द दिनांक 18.1.2020 प्रस्तुत की गई। उक्त मौका फद अनुसार खसरा नं. 272, 2278/272, 2279/273, 2280/273 की पैमाईस की गई। मौके व राजस्व रेकर्ड का मिलान करने पर पाया गया कि आवेदित भूमि ग्राम मोदरा व सेरणा की सरहद पर स्थित है, उक्त चारों खसरों की माठ ग्राम सेरणा के खसरा नं. 1056 से मिलती है। सरहद मौजा सेरणा पर सीमाचिन्ह नंबर 66 व 67 तथा मौजा मोदरा के सीमाचिन्ह 11 व 12 के बीच की माठ पर ग्राम सेरणा के खातेदारी व ग्राम मोदरा के खातेदारों के बीच माठ को लेकर विवाद है, राजस्व नक्शा शीट अनुसार दोनों गांवों की सरहद सीमाचिन्ह नंबर 11 व 12 (मोदरा) तथा 66, 67 (सेरणा) के बीच सीधी है जबकि मौका स्थिति वर्तमान अनुसार दोनों सीमाचिन्ह के बीच

उपखण्ड अधिकारी, जसवन्तपुरा
जिला-जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner

माठ सीधी नही है, ग्राम सेरणा के खातेदार द्वारा अपने खेत खसरा नं. 493 गै.मू. बेरा जो कि सरहद के नजदीक स्थित है, से जरीब चलाई गई, राजस्व नक्शे के अनुसार बेरे व सरहद के बीच 32 मीटर लंबाई है जबकि मौका स्थिति अनुसाार बेरे से सरहद की माठ की दूरी 37 मीटर है इस प्रकार पांच मीटर भूमि सरहद मौजा मोदरा के सरहद मौजा सेरणा के खसरा नं. 1056 में मिलाई हुई है, जिस पर खसरा नं. 1056 के खातेदारों का कब्जाकाश्त है। वर्तमान में दोनो गांवों की सरहद पर माठ कायम है तथा उक्त माठ पर मौजूद पेडों को देखने से लगता है कि उक्त पेड काफी पुरानें है, जिससे उक्त माठ स्थाई प्रतीती होती है एवं दोनों ग्रामों की सरहद को लेकर सीमा विवाद है। उक्त मौका फर्द में खसरा नं. 268 व 269 की पैमाईस व सीमांकन नहीं किया जाने से पुनः तहसीलदार जसवंतपुरा से जांच हेतू लिखा गया। इस संदर्भ में तहसीलदार जसवंतपुरा से मौका फर्द दिनांक 20.2.2020 अनुसार मौजा मोदरा के खसरा नं. 268, 269, 2280/273 ,272 जुमले रकबा 0.53 है की आराजी मौजा सेरणा सीमा पर स्थित है, मौजा मोदरा में इस आराजी के दक्षिण दिशा में मोदरा गांव की आबादी बसी हुई तथा उत्तर दिशा में ग्राम सेरणा की सीमा है व ग्राम सेरणा के खसरा नं. 494, 495, 1056 से मिलती है। ग्राम सेरणा के उक्त खसरों में रबी की फसल गेहूँ बोई है, जिससे आगे की माठों से सरहद की पैमाइस हेतू जरीब नही खिंची जा सकती क्योंकि उनके काश्तदारों द्वारा खडी फसल में जरीब खींचने से मना कर दिया , अतः मौजा मोदरा के खसरा नं. 268 व 269 जिसके वर्तमान में मौके पर संपरिवर्तन होकर प्लोटिंग हो चुकी है, जिसको एक खेत मानते हुए खसरा नं. 269, 270, 272 की माठ पर जहां पक्की दीवार निकली हुई है, के बिंदु सं. ए से बिंदु सं. बी सरहद की दूरी 126 मीटर है जबकि मौके पर 117 मीटर है इस प्रकार मौके पर 9 मीटर कम है। खसरा नं. 269 में बिंदु सं. सी से बिंदु सं. डी का राजस्व नक्शे में नाप 120 मीटर है जो मौके पर भी 120 मीटर सरहद मौजा सही पाई गई, जिस स्थान पर सीमा चिन्ह –12 स्थित है, सीमाचिन्ह –11 की जांच हेतू बिदु सं. ई आबादी व खसरा नं. 276 के बीच से सरहद पर सीमा चिन्ह –11 तक दूरी राजस्व नक्शे में 226 मीटर है तथा मौके पर भी 226 मीटर है , सही पाई गई।अतः मौदरा के सीमाचिन्ह –11 व 12 के बीच राजस्व नक्शे में सीधी लाईन है जबकि मौके पर माठ बीच में गोलाकार है जो खसरा नं 269 व 272 की माठ पर 9 मीटर सरहद मौजा मोदरा के अन्दर घुमाव है, इस प्रकार उक्त भूमि पर सरहद मौजा सेरणा के खसरा नं. 494, 495 तथा 1056 के खातेदारों का कब्जाकाश्त है, मौके पर दोनों गांवों की सीमा पर बडे–बडे पेड व माठ कायम है जो पुरानी प्रतीत होती है।

हमनें पत्रावली व संलग मौका रिपोर्टो का अध्ययन व अवलोकन किया । बाद अवलोकन ज्ञात हुआ कि मौजा मौदरा के वर्तमान खसरा नं 268, 269 का विभाजन उपरांत तरमीम हो चुकी है व आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हो चुका है। अतः संपरिवर्तित भूमि से संबंधित सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है। क्योंकि यह प्रकरण मौजा सेरणा के खसरा नं. 494 रकबा 0.0800 है0, खसरा नं. 495 रकबा 1.14 है0, खसरा नं. 1056 रकबा 1.25 है0 व मौजा मोदरा के संपरिवर्तित खसरा नं. 268 रकबा 0.0900 है0, आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित खसरा नं. 269 रकबा 0.2914 है0, खसरा नं. 2278/272 रकबा 0.30 है0, खसरा नं. 2279/273 रकबा 0.11 है0, खसरा नं. 2280/273 रकबा 0.15 है0 की सीमा विवाद से संबंधित है तथा तहसीलदार जसवंतपुरा से प्राप्त पैमाईस रिपोर्ट में दोनों गांवों की सीमा पर बडे–बडे पेड कायम होने व माठ पुरानी प्रतीत होने का जिक्र किया है। अतः उपर्युक्त वर्णित खसरें दो गांवों की सीमा पर स्थित होने से प्रार्थीगण भू–प्रबंध विभाग द्वारा पैमाइस करवाकर अतिक्रमण होने की दशा में काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं में वाद पेश करने हेतू स्वतंत्र रहेंगे।

अतः प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी करवाने अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.2.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीमती पुष्पा कंवर सिसोदिया)
उपखण्ड अधिकारी, जसवंतपुरा
उपखण्ड अधिकारी, जसवंतपुरा
जिला-जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Kanwar Sisodiya
Date: 2020.03.18 15:52:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: